

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section I

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 126]

नई दिल्ली, रविवार, सितम्बर 19, 1965/भाद्र 28, 1887

No. 126]

NEW DELHI, SUNDAY, SEPTEMBER 19, 1965/BHADRA 28, 1887

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

**MINISTRY OF STEEL AND MINES**

(Department of Iron & Steel)

**RESOLUTION**

*New Delhi, the 15th September 1965*

**No. Ind-3(24)/64-II.**—The Government of India announced *vide* Resolution No. Ind-3(24)/64, dated the 7th April, 1965 published in the Gazette of India (Extraordinary), Part-I, Section-I, dated the 9th April, 1965, the appointment of a Technical Committee under the Chairmanship of Shri S. C. Mukherjee, Deputy Iron and Steel Controller, *inter alia*, to assess the capacity of re-rolling mills in the country. The Committee was required to submit its report by the end of August, 1965. The term of the Committee is now extended upto 31st December, 1965.

Ordered that a copy of the above Resolution be communicated to all State Governments, all Ministries of Government of India, Prime Minister's Secretariat, Cabinet Secretariat, Parliament Secretariat, the Private and Military Secretaries to the President, the Planning Commission, the Comptroller and Auditor General of India, the Accountant General, Central Revenues.

The Directorate General of Technical Development, New Delhi.

Iron and Steel Controller, 33-Netaji Subhas Road, Calcutta.

The Steel Re-rolling Mills Association of India, 2-Brabourne Road, Calcutta.

Ordered also that it be published in the Gazette of India, Extraordinary.

K. C. MADAPPA, Jt. Secy.

इस्पात और खान मंत्रालय  
(लोहा और इस्पात विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 1965

संख्या इन्डस्ट्री-3(24)/64—भारत सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ देश की पुनर्बलन मिलों की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए श्री ए० सी० मुकर्जी, लोहा और इस्पात उप-नियंत्रक, की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति नियुक्त की थी (देखिये भारत सरकार का तारीख 7 अप्रैल, 1965 का संकल्प संख्या इन्डस्ट्री-3(24)/64 जो तारीख 9 अप्रैल, 1965 के भारत के राजपत्र के असाधारण अंक के भाग I खंड 1 में प्रकाशित हुआ था)। समिति ने अगस्त, 1965 के अन्त तक अपनी रिपोर्ट देनी थी। समिति की कालावधि अब 31-12-1965 तक बढ़ाई जाती है।

आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, प्रधान मंत्री के सचिवालय, कैबिनेट सचिवालय, संसद् सचिवालय, राष्ट्रपति के निजी तथा मिलिटरी सचिवों, योजना आयोग, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक और केन्द्रीय राजस्व के महालेखापाल, महानिर्देशक, तकनीकी विकास, नई दिल्ली, लोहा और इस्पात नियंत्रक 33, नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता तथा स्टील रि-रोलिंग मिल्स एसोसिएशन आफ इंडिया, 2-ब्राबोर्न रोड, कलकत्ता को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इसे भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

के० सी० मदाप्पा,  
सयुक्त सचिव।